संख्या-168/2018/2559/22-2-2017-17(703)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 16 फरवरी, 2018**

विषय:- जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर यादव पुत्र श्री रामरतन, निवासी जनपद- मैनपुरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-35303/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/(एम 17.11.2016) दिनांक 27.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर यादव पुत्र श्री रामरतन, जो टीकराहार, थाना- कुर्रा,जनपद- मैनपुरी का निवासी है। जमीनी विवाद को लेकर बन्दी ने दिनांक 12-04-2011 को अपरान्ह लगभग- 03.30 बजे लाईसेंसी बन्दूक से अपने पिता को जान से मारने की नीयत से फायर किया,जिससे दरवाजे पर बैठे पड़ोसी शेष कुमार घायल हुआ जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-300/2011 में भा0द0वि0 की धारा- 304 भाग-।।,307, एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश,आवश्यक वस्तु अधि0/ अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 04.07.2013 द्वारा दस वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 05 वर्ष 03 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 12 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित करते हुए कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर यादव पुत्र श्री रामरतन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी धर्मवीर यादव (बन्दी संख्या-60/13) पुत्र श्री रामरतन, निवासी जनपद- मैनपुरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-168/2018/2559(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मैनपुरी।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, मैनपुरी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-168/2018/2559@22-2-2017-17(703)/2017

दिनांक 16 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर यादव पुत्र श्री रामरतन, जो टीकराहार, थाना- कुर्रा,जनपद- मैनपुरी का निवासी है। जमीनी विवाद को लेकर बन्दी ने दिनांक 12-04-2011 को अपरान्ह लगभग- 03.30 बजे लाईसेंसी बन्दूक से अपने पिता को जान से मारने की नीयत से फायर किया,जिससे दरवाजे पर बैठे पड़ोसी शेष कुमार घायल हुआ जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-300/2011 में भा0द0वि0 की धारा- 304 भाग-।।,307, एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश,आवश्यक वस्तु अधि0/ अपर सत्र न्यायाधीश,मैनपुरी के आदेश दिनांक 04.07.2013 द्वारा दस वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 05 वर्ष 03 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 12 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित करते हुए कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर यादव पुत्र श्री रामरतन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।